न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 178/2017
बुद्धू बनाम रामपियारे आदि

03.04.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर सायला मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 34क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 34क2 सायला द्वारा इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए दिए गए प्रार्थनापत्र 14ग में टाइपिंग की गलती से आदेश 1 नियम 10(2) जा0दी0 के स्थान पर आदेश 1 नियम 10(4) जा0दी0 दर्ज हो गया है, जिसे जरिए संशोधन दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करने हेतु वादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थना पत्र 34क2 सायला द्वारा, प्रार्थनापत्र 14ग2 में संशोधन करने के आशय से दिया गया है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। चाहा गया संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि वाद बहुलता कम होगी। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 34क2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 34क2 स्वीकार किया जाता है। सायला आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 14ग2 दिनांक 22.05.2019 को पेश हो। टी0आई0 नियत तिथि तक स्वीकृत।

.

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।